पंचायती राज संस्थाओ की भूमिका

- 73वें सविंधान संशोधन 1992 के अनुसार स्वच्छता को 11वीं अनूसूची मे शामिल किया गाया है।

- ग्राम पंचायत शौचालयो के निर्माण हेतू सामाजिक जागरुकता पैदा करेगी।
- अपशिष्टो के सुरक्षित निपटान के माध्यम से पर्यावरण को साफ बनाये रखेगी ।
- निर्मल भारत अभियान के अर्न्तगत बनाये गये स्वच्छता परिसरो का रख–रखाव।

- पंचायती राज संस्थाए निर्मल भारत अभियान के अर्न्तगत बनी सम्पत्तियो जैसे कि सामुदायिक परिसरो , पर्यावरण घटको, निकासी आदि के संरक्षक का कार्य करेगी।
- ग्राम पंचायते उत्पादन केन्द्र / ग्रामीण स्वच्छता बाजार भी खोल सकती है।

- पंचायती राज संस्थाए परस्पर आईईसी तथा प्रक्षिशण के लिए उपयुक्त गैर सरकारी संगठनो की मदद ले सकती है।
- पंचायते निर्मल अभियान के सभी घटको अर्थात जल स्रोत एवं शौचालयो बीच दूरी,विधायलय व आंगनवाडी परिसरो मे स्वच्छता परिसर,प्रदूषण को रोकने हेतू गडढे की गहराई,हैंडपम्पो व जल स्रोतो के चारो तरफ साफ–सफाई, खुले मे शौच मुक्त ग्राम पंचायत परिक्षेत्र बनाना एवं उसके हेतू निगरानी का व्यवस्था।